



प्रेस नोट

दिनांक 09.09.2025

06 अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के थाना कुरारा, कोतवाली नगर, चिकासी व थाना मझगवां से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त- अजय प्रताप सिंह पुत्र तुलसीराम निवासी ग्राम परसी का डेरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर, दिनांक 19.08.2025 से 06 माह।
2. अभियुक्त- छोटू सिंह पुत्र भोज सिंह निवासी ग्राम जखेला थाना कुरारा जनपद हमीरपुर, दिनांक 29.08.2025 से 06 माह।
3. अभियुक्त- जावेद उर्फ जगलर पुत्र शाकिर निवासी मो0 कालपी चौराहा गौरा देवी थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर, दिनांक 22.08.2025 से 06 माह।
4. अभियुक्त- हृदेश कुमार राजपूत उर्फ नगडिया खलक सिंह निवासी ग्राम चंदवारी डांडा थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर, दिनांक 25.08.2025 से 06 माह।
5. अभियुक्त- आकाश पुत्र महेन्द्र लोधी निवासी ग्राम नौरंगा थाना मझगवां थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 27.08.2025 से 06 माह।
6. अभियुक्त- कल्लू उर्फ कालीचरन पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम टोलारावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 28.08.2025 से 06 माह।